(184)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट रीवा म0प्र0

Rs. 30/-

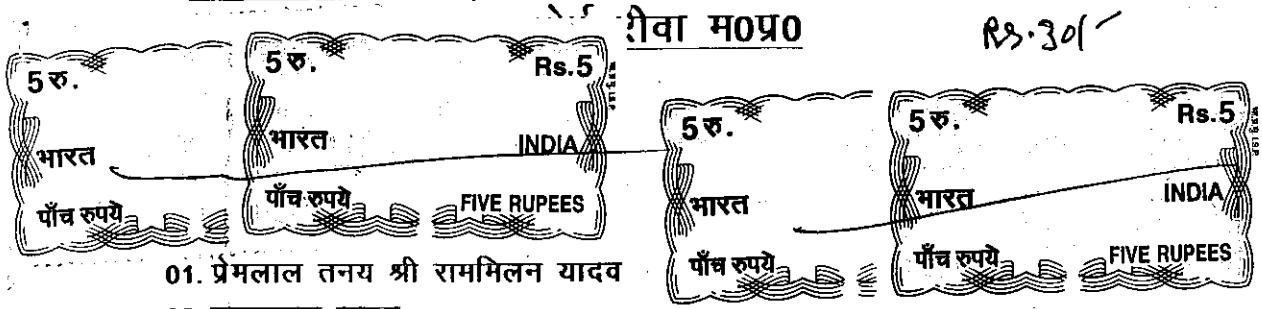

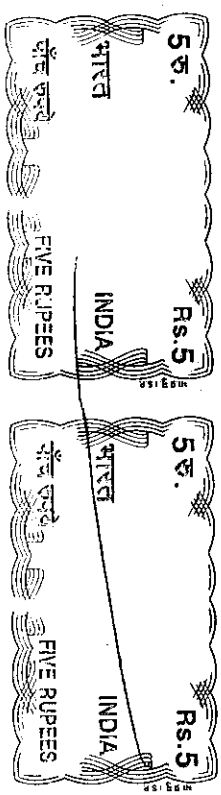

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

01. प्रेमलाल तनय श्री राममिलन यादव
02. राजललन यादव
03. राजाराम यादव
04. राजकिशोर यादव
05. रामनरेश यादव चारों पिता श्री परसन यादव सभी निवासी ग्राम नकैला तह0 मझगवां वृत्त बरौंधा जिला सतना म0प्र0 ....निगराकारगण

R 5110-II/17

बनाम

1. राजबहादुर यादव तनय पुनीमा उर्फ पूरन यादव साकिन नकैला तह0 मझगवां जिला सतना म0प्र0
2. श्री फुलेल कुमार रावत राजस्व निरीक्षक पदेन नायब तहसीलदार वृत्त बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0......................................गैर निगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध राजस्व प्रकरण क0 11ए70/2014–15 आदेश दिनांक 13.02.2017 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त बरौंधा तह0 मझगवां जिला सतना म0प्र0

प्रस्तुत श्री आर.एन. त्रिपाठी द्वारा पेश 20.3.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

प्रार्थी निगराकारगणों द्वारा प्रस्तुत निगरानी के तथ्य निम्नवत् है :–

01. यह कि प्रार्थी निगराकारगण उपरोक्त दर्शित पते के पुस्तैनी निवासी है व कृषि एवं मजदूरी कार्य कर जीवन वसर करते चले आ रहे है। तथा गैरनिगराकार एक पढा लिखा व पूर्व ब्लाक उपाध्यक्ष ज0पं0 मझगवां जिला सतना म0प्र0 रह चुका है।
02. यह कि गैरनिगराकार क0 1 द्वारा चुनावी रंजिस के चलते अधीनस्थ न्यायालय वृत्त बरौंधा तह0 मझगवां में आधारहीन आवेदन पत्र म0प्र0 भूराजस्व संहिता धारा 250 के अंतर्गत निगराकारगणों के अर्सा पूर्व पुराने पुस्तैनी मकानों को हटाया जाकर कब्जा वापस दिलाये जाने का आवेदन दिनांक 30.03.2015 को प्रस्तुत किया व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच व परीक्षण किये अधिकार क्षेत्र बिहीन गैरनिगराकार का विषयांकित प्रकरण दर्ज कर लिया गया व निगराकार गणों को उसी दिनांक को सम्मन सूचना जारी कर दिये गये। जिसमें कि निगराकारगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर विधिवत

आर.एन. त्रिपाठी एडवोकेट जिला न्यायालय, सतना (म.प्र.) 20-3-17

रामनरेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5110–दो/17 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 त्रिपाठी द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त वरौधा जिला सतना के प्रकरण कमांक 11/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.2.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के आदेश पत्रिका का अवलोकन करने पर पाया गया है कि तहसीलदार द्वारा आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किये जाने का लेख किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः नायब तहसीलदार को आपत्ति का निराकरण पहले करना चाहिये था उसके पश्चात प्रकरण का गुणदोष पर निर्णय लेना चाहिये। अतएव नायब तहसीलदार वृत्त वरौधा जिला सतना के प्रकरण कमांक 11/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.2.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार वृत्त	

वरौधा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पहले उभयपक्ष की आपत्ति का निराकरण करें। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्ड़ल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य